

**CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C, CHANDIGARH**

No. CSIO/Cttee/Gen/2018

January 3, 2019

ADDENDUM

Subject : Constitution of Works Committee - reg.

In continuation to this office OM of even number dated 26.10.2018 and 06.11.2018, Director CSIR-CSIO has been pleased to include Head AC and Refrigeration as Member in the Works Committee constituted vide above referred OM.

संगठन के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.10.2018 तथा 06.11.2018 के अनुक्रम में निदेशक सीएसआईआर-सीएसआईओ ने प्रभारी वातानुकूलन को कार्य समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

In addition to this, Director CSIR-CSIO has been pleased to approve the following :

1. In the absence of Chairman WSC while on tour or leave, the next senior most Scientist in the Committee will act as Chairman.
अध्यक्ष डबल्यूएससी की अनुपस्थिति में समिति में उपलब्ध वरिष्ठतम वैज्ञानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
2. In the absence of CoFA/F&AO while on tour or leave, senior most SO(F&A) will act as Member of the Committee.
वित्त एवं लेखा नियंत्रक / वित्त एवं लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) समिति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

The Committee will act as per terms of reference already notified vide above OM dated 26.10.2018. समिति उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 26.10.2018 में अधिसूचित terms of reference के अनुसार कार्य करेगी।


(Sukesh Kumar)
Section Officer

Copy to :

1. PS to Director - for information please.
2. Dr. H.K.Sardana, Chief Scientist & Chairman WSC
3. CoA/A.O. (Estate Officer), Member WSC
4. CoFA/F&AO, Member WSC
5. Head BIPP, Member WSC
6. Shri Dinesh Pankaj, Principal Scientist (Safety Officer), Member WSC
7. Shri V.K.Gupta, Sr. S.E. (Electrical), Member WSC
8. Head AC & Refrigeration, Member WSC
9. S.E. (Civil), Convener WSC
10. Head MIS - with the request to upload on CSIO intranet for information of all staff members.
11. All Notice Boards

CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C, CHANDIGARH

No. CSIO/Cttee/Gen/2018

November 6, 2018

ADDENDUM

Subject : Constitution of Works Committee - reg.

In continuation to this office OM of even number dated 26.10.2018, Director CSIR-CSIO has been pleased to include Shri V.K.Gupta, Sr. Superintending Engineer (Electrical) as Member in the Works Committee constituted vide above referred OM.

संगठन के कार्यालय जापन दिनांक 26.10.2018 के अनुक्रम में निदेशक सीएसआईआर-सीएसआईओ ने श्री वी के गुप्ता, वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता (विद्युत) को कार्य समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

The Committee will act as per terms of reference already notified vide above OM dated 26.10.2018. समिति उपरोक्त जापन दिनांक 26.10.2018 में अधिसूचित terms of reference के अनुसार कार्य करेगी।


(Sukesh Kumar)
Section Officer

Copy to :

1. PS to Director - for information please.
2. Dr. H.K.Sardana, Chief Scientist & Chairman WSC
3. CoA/A.O. (Estate Officer), Member WSC
4. CoFA/F&AO, Member WSC
5. Head BIPP, Member WSC
6. Shri Dinesh Pankaj, Principal Scientist (Safety Officer), Member WSC
7. Shri V.K.Gupta, Sr. S.E. (Electrical), Member WSC
8. S.E. (Civil), Convener WSC
9. Head MIS - with the request to upload on CSIO intranet for information of all staff members.
10. All Notice Boards

**CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
SECTOR 30-C, CHANDIGARH**

No. CSIO/Cttee/Gen/2018

October 26, 2018

OFFICE MEMORANDUM

In supersession of OM dated 08.01.2016, Director CSIR-CSIO has been pleased to constitute the Works Committee consisting of following officers in CSIR-CSIO :

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Dr. H.K.Sardana, Chief Scientist | Chairman |
| 2. | Controller of Administration / Administrative Officer
(Estate Officer) | Member |
| 3. | Controller of Finance & Accounts/
Finance & Accounts Officer | Member |
| 4. | Head BIPP | Member |
| 5. | Shri Dinesh Pankaj, Principal Scientist
(Safety Officer) | Member |
| 6. | S.E. (Civil) | Convener |

The Committee will act as per Terms of Reference (**Annexure-I**) given in Para 1.3 of CSIR Policy and Procedure for Engineering Services and Estate Management (March, 2010) and also carry out the functions as notified vide OM dated 08.01.2016 (**Annexure-II**) referred to above.

The tenure of the Committee will be two years from the date of issue of this OM.

Hindi version will follow.


(Parag Saxena)
Administrative Officer

Copy to :

1. PS to Director - for information please.
2. All concerned
3. Head MIS - with the request to upload on CSIO intranet for information of all staff members.
4. All Notice Boards

सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
सैक्टर 30, चण्डीगढ़ 160030

सं. सीएसआईओ/समिति/सा./2018

26 अक्टूबर, 2018


कार्यालय ज्ञापन

संगठन के दिनांक 8.1.2016 के अधिक्रमण में निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा संगठन की वर्क्स समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है :

1. डॉ. एच. के. सरदाना, चीफ वैज्ञानिक	अध्यक्ष
2. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी (संपदा अधिकारी)	सदस्य
3. वित्त एवम् लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
4. प्रमुख, बिप्प	सदस्य
5. श्री दिनेश पंकज, प्रिंसिपल वैज्ञानिक (संरक्षा अधिकारी)	सदस्य
6. अधीक्षक अभियंता (सिविल)	संयोजक

समिति अभियांत्रिकी सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन के लिए सीएसआईआर नीति एवं प्रक्रिया (मार्च 2010) के पैरा 1.3 में दिए गए निर्देशों (अनुलग्नक-1) के अनुसार तथा उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक 8.1.2016 में अधिसूचित किए गए कार्य (अनुलग्नक-11) करेगी।

समिति का कार्यकाल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा।


(पराग सक्सेना)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रति :

1. निजी सचिव, निदेशक - सूचनार्थ
2. समस्त संबंधित
3. प्रभारी, एमआईएस - इस सूचना को संगठन की वैबसाइट पर लगाने हेतु
4. समस्त सूचना पट्ट

Annexure-I

Page 1 of 2

Policy and Procedure for Engineering Services and Estate Management

Dr. Nagesh R. Iyer, Director, CSIR - SERC & Director, Engineering Coordination

Dr. S.K. Bhattacharya, Director, CSIR - CBRI

Dr. K. Jayakumar, Joint Secretary, CSIR

Shri C.S. Malik, Sr. Dy. FA (Budget), CSIR

Dr. Sudeep Kumar, PPD, CSIR

Shri Deepak, Kumar, SE, ESD, CSIR



CSIR-Engineering Coordination

Council of Scientific & Industrial Research

CSIR Complex, Library Avenue, Pusa

NEW DELHI-110012

1.3 Lab Level Committee for Implementation of Policies & Procedures

Director of the laboratory is advised to constitute Works Committee consisting of the following members/ officers:

a) Senior scientist nominated by Director as Nodal officer	Chairman
b) Work Coordinator/ Estate Officer	Member
c) Finance & Accounts Officer	Member
d) Administrative/ Vigilance Officer	Member
e) Head, RPBD/ PPD/ PME or his nominee	Member
f) Safety Officer	Member
g) CE/ SE/ EE	Convener

In addition to the above, Director of laboratory may nominate an Engineer from either sister CSIR Lab or an expert from State or Central PWD as appropriate as members. Director of the laboratory shall ensure that Safety Committee is active and the Safety Officer along with the Safety Committee, participates in the related activities whenever/ wherever required.

1.3.1 Terms of Reference

The Lab Level Works Committee in addition to the tasks/ responsibilities suggested in this document will have the following terms of reference:

- i) to formulate standard procedures towards smooth functioning of estate management and protect CSIR property,
- ii) to conduct periodical review of the progress of projects (both financial and technical),
- iii) to consider & evaluate cases of a) delay in work by contractor, b) escalation of rates/ cost etc., and c) provide necessary recommendations
- iv) to act as negotiation committee whenever required with lowest tenderer (L1),
- v) to formulate local guidelines/ procedures in order to have smooth functioning of the Works/ Engineering section including delegation of powers, extent of revolving fund for civil and electrical work towards maintenance and other exigencies etc.
- vi) Weeding out old records relating to works
- vii) Weeding out old agreements relating to works
- viii) Lab Level Implementation Committee should vet the documents related to MoU's, agreements etc from legal and administrative angle (if required reference may be made to legal cell, CSIR)

[Back to Content](#) 

सं. सीएसआईओ/6(विविध)/समिति गठन/सभा-2016

दिनांक : 8.1.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्क्स एवं सर्विस समिति का पुनर्गठन

निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ ने निम्नानुसार वर्क्स एवं सर्विस समिति का पुनर्गठन किया है :


1.	डॉ. आमोद कुमार, चीफ वैज्ञानिक एवं प्रभारी, बिप्प	अध्यक्ष
2.	डॉ. एच. के. सरदाना, चीफ वैज्ञानिक	सदस्य
3.	श्री रंधीर भटनागर, चीफ वैज्ञानिक	सदस्य
4.	प्रशासनिक अधिकारी-11	सदस्य
5.	वित्त एवं लेखा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री वी. के. गुप्ता, अधीक्षक अभियंता (विद्युत)	सदस्य
7.	श्री मदन शर्मा, कार्यपालक अभियंता (सिविल)	संयोजक

समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी :

1. वर्क्स एवं सर्विस समिति (डब्ल्यूएससी) सलाहकार के रूप में कार्य करेगी तथा अपनी संस्तुतियां निदेशक को प्रस्तुत करेगी।
2. समिति विभिन्न सिविल कार्यों तथा इंजीनियरिंग सेवाओं यथा निर्माण, मरम्मत, बिजली से संबंधित संस्थापना, टेलिफोन, गैस सप्लाई, जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आवश्यकताओं की जांच करेगी।
3. समिति निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य की जांच कर उस पर अपनी राय देगी।
4. समिति विभिन्न वर्टिकल्स/हॉरिजॉन्टल्स से संस्थान एवं कालोनी में सिविल, इलैक्ट्रिकल, टेलिफोन, वाहन इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए प्राप्त मांगपत्रों की जांच करेगी तथा संस्थान के वर्क्स के मास्टर प्लान के अनुसार कार्य की अनिवार्यता/उपयोगिता, बजटीय आबंटन, स्थान चयन को देखते हुए कार्य की प्राथमिकता निश्चित करेगी।
5. समिति इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग (सिविल इंजी. अनुभाग/इलैक्ट्रिकल इंजी., वातानुकूलन एवं टेलिफोन अनुभाग) द्वारा निम्नलिखित के लिए तैयार प्रारंभिक आकलन एवं अपेक्षाओं की जांच करेगी - (क) संस्थान के सभी पूंजीगत कार्य, आवासीय परिसर के कार्य (ख) बजट शीर्ष पी-06 तथा पी-701 के अंतर्गत होने वाले एड्रीशन एवं ऑल्टरेशन कार्य ; तथा (ग) सामान्य मरम्मत कार्यों तथा छोटे-छोटे इंस्टालेशन कार्यों के लिए और कार्य की प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देगी। तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार की सिफारिशों प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
6. संबंधित इंजीनियर प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेवारी होगी तथा वे संबंधित समझौते की निबंधन एवं शर्तों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य प्रारंभ/होना, प्रगामी प्रगति, गुणवत्ता आश्वासन तथा अनुमोदित कार्यों का समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेंगे तथा अंतिम भुगतान जारी किए जाने संबंधी अपनी संस्तुति देगे। तथापि डब्ल्यूएससी समिति के संयोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर समिति समय-समय पर कार्य की प्रगति का जायजा लेगी।
7. समिति का प्रत्येक सदस्य अपने संबंधित क्षेत्र में कार्य पर नजर रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा तथा समिति को कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये सदस्य जनहित के आवश्यक कार्यों की पहचान करने के लिए सीएसआईओ स्टाफ से बातचीत करेंगे।

साथ ही वर्क्स एवं सर्विस समिति सीएसआईआर, नई दिल्ली द्वारा जारी "इंजीनियरिंग सेवाओं एवं संपदा प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया (मार्च 2010)" विषयक दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्य भी करेगी।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।


(अनुराग सचदेव)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रति :

1. समस्त समिति सदस्य - इंटरनेट के माध्यम से
2. निजी सचिव, निदेशक
3. प्रभारी, एमआईएस - सीएसआईओ इंटरनेट पर डालने के आग्रह सहित